



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट जयल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 1200A 40/76/एक/2018-18

दिनांक: 06/06/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी०एल०सी०) के अन्तर्गत जनपद द्वारा अपलोड की गई लाभार्थियों की सूचना के आधार पर अभिकरण मुख्यालय द्वारा **"Paid by Higher Level Agency A/C"** के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बीएलसी) में जनपद द्वारा योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर जनपदवार लाभार्थियों की संख्या/सूची इस आशय से अपलोड की गई थी कि योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की धनराशि शासन के निर्देशानुसार लाभार्थी के खाते में सीधे स्थान्तरित की जाये। तदकम में जनपद द्वारा निम्न विवरणानुसार पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के क्रम में **"PAID BY HIGHER LEVEL AGENCY A/C"** के द्वारा धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में निम्नविवरणानुसार प्रेषित की जा चुकी है:-

(धनराशि ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रेषित की गयी धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			कुल धनराशि
			प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर		
			₹० 50000/- प्रति ला०	₹० 100000/- प्रति ला०	₹० 150000/- प्रति ला०	
1	Beharich	7	0	0	7	1050000.00
2	Sant Kabir Nagar	3	3	0	0	150000.00
3	Sant Kabir Nagar	4	4	0	0	200000.00
4	Sant Kabir Nagar	45	45	0	0	2250000.00
5	Maharajganj	26	0	26	0	2600000.00
6	Maharajganj	131	0	0	131	19650000.00
7	Mau	18	0	0	18	2700000.00
8	Kaushambi	92	92	0	0	4600000.00
9	Kaushambi	833	833	0	0	41650000.00

(Handwritten signature)



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रेषित की गयी धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			कुल धनराशि
			प्रथम स्तर	द्वितीय स्तर		
			रु० 50000/- प्रति ला०	रु० 100000/- प्रति ला०	रु० 150000/- प्रति ला०	
10	Kaushambi	52	52	0	0	2600000.00
	TOTAL	1211	1029	26	156	77450000.00

1. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित उपयोगता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. लाभार्थी को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार पूर्ण कर दिये गये हैं तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुरूप पात्र हैं।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद।
- 2- कार्यकम अधिकारी, सूडा।
- 3- श्री योगेश आदित्य, सहा०परि० अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सूडा।
- 4- अपर निदेशक/निदेशक महोदय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक